



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052022-236017
CG-DL-E-25052022-236017

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2258]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 25, 2022/ज्येष्ठ 4, 1944

No. 2258]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 2022/JYAISHTHA 4, 1944

रेल मंत्रालय

(उत्तर रेलवे)

(निर्माण संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2022

का.आ. 2379(अ).—केंद्रीय सरकार के 2008 के विधेयक संख्या 19 के माध्यम से संशोधित रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20 (F) (6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित अधिकारियों को विवाचक के रूप में, सारणी के स्तम्भ (4) में उल्लिखित परियोजना के सम्बन्ध में, सारणी के स्तम्भ संख्या (2) में उल्लिखित हरियाणा राज्य के जिलों के लिए नियुक्त किया जाता है, जो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा कथित नियम से स्तम्भ संख्या (2) में उल्लिखित हरियाणा राज्य के जिलों में यथाविनिर्दिष्ट अपने अधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के द्वारा विवाचक को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए इस राजपत्र की अधिसूचना की तिथि से अधिकृत किया जाता है।

क्रमांक	जिला	विवाचक	परियोजना का नाम
1.	2.	3.	4.
1.	पलवल	मंडल आयुक्त, फरीदाबाद	हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर में "पलवल से सोनीपत वाया सोहना, मानेसर और खरखोदा" न्यू ब्रॉड गेज डबल रेल लाइन हेतु हरियाणा में भूमि का अधिग्रहण।
2.	नूंह	मंडल आयुक्त, फरीदाबाद	
3.	गुरुग्राम	मंडल आयुक्त, गुरुग्राम	
4.	झज्जर	मंडल आयुक्त, रोहतक	
5.	सोनीपत	मंडल आयुक्त, रोहतक	

[फा. सं. 8-W/HRIDC/W. Spl/2019]

ए. के. सिंघल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS
(Northern Railway)
(CONSTRUCTION ORGANIZATION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2022

S.O. 2379(E).—In exercise of the powers conferred by Section 20 (F) (6) of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) amended through Bill No. 19 of 2008, the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (3) of the Table below as Arbitrator of the project as mentioned in column (4) of the table below to perform the functions and duties of such authority and exercise the powers conferred and imposed, by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction as specified in column (2) of the table below with effect from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

S. No.	District	Arbitrator	Name of Project
1.	2.	3.	4.
1.	Palwal	Divisional Commissioner, Faridabad	Acquisition of land in Haryana in c/w “Haryana Orbital Rail Corridor from Palwal to Sonipat via Sohna, Manesar and Kharkhoda” New Broad Gauge Double Rail line.
2.	Nuh	Divisional Commissioner, Faridabad	
3.	Gurugram	Divisional Commissioner, Gurugram	
4.	Jhajjar	Divisional Commissioner, Rohtak	
5.	Sonipat	Divisional Commissioner, Rohtak	

[F. No. 8-W/HRIDC/W. Spl/2019]

A. K. SINGHAL, Chief Administrative Officer/Construction